मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्र. 2150 /आर 2988/2016/12-1 भोपाल, दिनांक 22/05/17

प्रति,

कलेक्टर,
समस्त जिले, (म0प्र0)।

विषयः- नदियों से रेत उत्खनन के दौरान मशीनों के उपयोग पर प्रतिबंध।

निर्देशानुसार लेख है कि, भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 एवं इसमें किये गये संशोधनों के अनुसार रेत खनिज की खदानों में खदान संचालन के लिये यथा स्थिति सिया/डिया द्वारा पर्यावरणीय अनुमति प्रदान की जाती है। रेत खनिज के मामलें में दी गई पर्यावरणीय अनापत्ति में यह शर्त होती है कि, रेत का खनन मानव श्रम (मेन्यूअल) से किया जाए, जिसमें मशीनो से रेत के उत्खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध है।

राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि, नदियों से रेत खनन में मशीनों का उपयोग प्रतिबंधित किया जाये। राज्य शासन के इस निर्णय का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(जे.पी. श्रीवास्तव)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग

पृ. क्र. /आर 2988/2016/12-1 भोपाल, दिनांक
प्रतिलिपि :-

1. समस्त कमिश्नर, मध्यप्रदेश।
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल।
3. प्रभारी अधिकारी, ई-खनिज की ओर विभागीय वेब साईट में प्रदर्शित करने हेतु।
4. गार्ड फाईल हेतु।

अवर सचिव
म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग

D:\COVERING LETTER\FOR LEASERS LETTER.DOCX